आवश्यक निर्देश

1–परिषद् की परीक्षाओं में केवल उन्हीं परीक्षार्थियों के लिए श्रुत–लेखक की नियुक्ति की जायेगी, जो पृष्ठ 4 के नियम 2 में उल्लिखित परीक्षार्थियों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हों, अन्य किसी को नहीं।

2–केन्द्र–व्यवस्थापकों को चाहिए कि वे परीक्षार्थियों को निर्देश दें कि वे इस प्रपत्र को भरने से पहले पृष्ठ 4 पर मुद्रित श्रुत–लेखक की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों को भली–भांति पढ़ ले और समझ लें।

3–केन्द्र–व्यवस्थापकों को चाहिये कि वे इस प्रपत्र को परीक्षार्थी द्वारा पूर्णरूप से पूरित करा कर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को परीक्षा समाप्त होते ही भेज दें। मुख्य शिक्षा अधिकारी से निवेदन है कि वह इस प्रपत्र के साथ अन्य प्रपत्र न भेजें और लिफाफे पर साफ–साफ हाईस्कूल/इण्टर श्रुत–लेखक लिखें। परीक्षा में श्रुत–लेखक को उपयोग करने की सूचना तुरन्त तार द्वारा परिषद् कार्यालय को देनी चाहिये।

अनुक्रमांक ____________________

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

श्रुत–लेखक के लिए प्रार्थना–पत्र

____________________ परीक्षा, 20

1–प्रार्थी का विवरण

1–पूरा नाम ____________________

2–अनुक्रमांक ____________________ जन्म तिथि ____________________

3–विद्यालय का नाम ____________________

4–श्रुत–लेखक की नियुक्ति का कारण (*नियम 2 के अनुकूल प्रमाणित) ____________________

5–इसके पूर्व भी परिषद् या विद्यालय द्वारा उसे श्रुत–लेखक स्वीकृत हुआ था, यदि हाँ, तो पूरा विवरण ____________________

6–क्या वह अन्धा है अथवा लूला है अथवा लकवा मार गया है अथवा हाथ विहीन परीक्षार्थी है ? ____________________

7–क्या उसने पृष्ठ 4 पर मुद्रित श्रुत–लेखक की नियुक्ति सम्बन्धी नियमों को पढ़ लिया है और भली–भाँति समझ लिया है तथा पृष्ठ 3 पर मुद्रित प्रमाण–पत्र पर अपना निशान–अंगूठा लगा दिया है ?

8–पिछले दो सामयिक परीक्षाओं में प्राप्त किये हुये प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित अंक। उपरोक्त कॉलमों को यथाविधि भरने के उपरान्त नीचे निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी अपना निशान–अंगूठा लगा दें।

विषय	त्रैमासिक परीक्षा के अंक			षट्मासिक परीक्षा के अंक		
	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

प्रार्थी का निशान–अंगूठा और पता ____________________

दिनाँक __________ 20 ई0 ____________________

____

2–श्रुत–लेखक का विवरण

1–पूरा नाम ____________________ पिता का नाम ____________________

2–किस कक्षा में पढ़ रहा है ? ____________________ जन्म–तिथि ____________________

3–विद्यालय का नाम, जिसमें पढ़ता हो ____________________

4–क्या श्रुत–लेखक प्रार्थी से किसी भाँति सम्बन्धित है ? ____________________

5–क्या वह बहुधा दाहिने हाथ या बायें हाथ से लिखता है ? ____________________

*पृष्ठ 4 पर मुद्रित नियम देखिये।

6–पिछले दो सामयिक परीक्षाओं में प्राप्त किये हुए प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित अंक

विषय	त्रैमासिक परीक्षा के अंक			षट्मासिक परीक्षा के अंक		
	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

7–नमूना
- (क) अंग्रेजी हस्तलिपि ____________
- (ख) हिन्दी हस्तलिपि ____________
- (ग) उर्दू हस्तलिपि ____________

श्रुत–लेखक का पूरा हस्ताक्षर और पता ____________

दिनाँक ____________ 20 ई0

3–परीक्षा केन्द्र–व्यवस्थापक द्वारा आख्या और संस्तुति

इस प्रार्थना–पत्र में वर्णित बातें सही हैं और छात्र तथा श्रुत–लेखक के प्राप्तांक की जाँच कर ली गयी है। श्रुत–लेखक के आज्ञा सम्बन्धी सभी आवश्यक *नियमों का पूर्णरूप से पालन किया गया है। श्रुत–लेखक का चुनाव मैंने पृष्ठ 4 पर मुद्रित नियमों के अनुसार किया है।

मेरी संस्तुति प्रार्थना–पत्र के पक्ष/विपक्ष में है। मैं ____________ प्रमाणित करता हूँ कि (1) श्रुत–लेखक का कार्य दिनाँक ____________ से ____________ तक किया गया (प्रारम्भ और अन्तिम दोनों दिवसों को सम्मिलित करते हुए)। (2) परीक्षार्थी को 'क' के समक्ष अंकित विषयों तथा प्रश्न–पत्रों में श्रुत–लेखक प्रदान किया गया है एवं 'ख' के समक्ष अंकित विषयों तथा प्रश्न–पत्रों में श्रुत–लेखक नहीं प्रदान किया गया है। (3) परीक्षार्थी एवं श्रुत–लेखक के प्राप्तांक जो पृष्ठ 1 तथा 2 में निर्धारित स्थान पर भरें हैं, उनका मिलान मैंने स्वयं उनके मूल अंक–पत्र से कर लिया है तथा वे अक्षरशः सही हैं :–

(क) उन विषयों का नाम तथा दिनाँक, जिनमें परीक्षार्थी को श्रुत–लेखक दिया गया है :–

विषय ____________ दिनाँक ____________ विषय ____________ दिनाँक ____________

विषय ____________ दिनाँक ____________ विषय ____________ दिनाँक ____________

विषय ____________ दिनाँक ____________ विषय ____________ दिनाँक ____________

विषय ____________ दिनाँक ____________ विषय ____________ दिनाँक ____________

(ख) उन विषयों के नाम तथा दिनाँक, जिनमें परीक्षार्थी को श्रुत–लेखक नहीं दिया गया है :–

संलग्न–नियम 2 के अनुकूल चिकित्सक प्रमाण–पत्र पृष्ठ 3 पर चिपका दिया है।

दिनाँक ____________ 20 ई0

केन्द्र–व्यवस्थापक का हस्ताक्षर ____________

मुहर ____________

*पृष्ठ 4 पर मुद्रित नियम।

मुख्य शिक्षा अधिकारी के आदेश

दिनाँक _____ 20 ई0

_____

(मुख्य शिक्षा अधिकारी का पूरा हस्ताक्षर)

मुहर _____

टिप्पणी–मुख्य शिक्षा अधिकारी की अपनी आज्ञा देने के उपरान्त इस प्रपत्र को सचिव के कार्यालय को मूल रूप में। मई, 20 तक अवश्य भेज देना चाहिये।

परीक्षार्थी का लिखित वक्तव्य

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मैंने 20 की _____ परीक्षा में पृष्ठ 4 पर मुद्रित श्रुत–लेखक की नियुक्ति सम्बन्धी किसी भी नियम की अवहेलना करके श्रुत–लेखक का लाभ उठाया हो तथा परिषद् द्वारा इसकी स्वीकृति न की गई, तो परिषद् को अधिकार होगा कि वह मेरी 20 की _____ परीक्षा निरस्त कर दे। ऐसा करने पर मुझे आपत्ति न होगी। मैं परीक्षा में अस्थाई रूप से सम्मिलित हो रहा/रही हूँ।

दिनाँक _____ 20 ई0

_____

परीक्षार्थी का निशान–अंगूठा

नियम 2 के अन्तर्गत चिकित्सक प्रमाण–पत्र नीचे निर्धारित स्थान पर चिपका दें।

चिकित्सक प्रमाण–पत्र

परीक्षार्थियों, केन्द्र–व्यवस्थापकों तथा प्रदेश तथा प्रदेश के समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी की जानकारी के लिए श्रुत–लेखक की नियुक्ति सम्बन्धी नियम

1–किसी भी विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा तथा लिखित परीक्षा के कला, रंजन कला एवं आशुलिपि तथा टंकण के प्रश्न–पत्रों में श्रुत–लेखक की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

2–यदि किसी गम्भीर दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी परीक्षार्थी के लिखने वाले हाथ या उसकी आँखों को यदि कोई ऐसी क्षति पहुँच गई हो, जो स्थायी रूप से असाध्य हो अथवा ऐसी कार्य–विधि के लिए उसे लिखने में अक्षम करती हो, जिसमें कि उसकी परीक्षा होनी हो, ऐसे परीक्षार्थी को श्रुत–लेखक निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जा सकेगा :–

(क) मुख्य शिक्षा अधिकारी, श्रुत–लेखक प्रदान किये जाने वाले परीक्षार्थी की लिखने की अक्षमता के सम्बन्ध में स्वयं पुष्टि करेंगे।

(ख) ऐसा समाधान हो जाने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी, सचिव को उपरोक्त संस्तुति कर सकेंगे कि परीक्षार्थी को श्रुत–लेखक प्रदान किया जाय, यदि समय बहुत कम हो तो मुख्य शिक्षा अधिकारी परीक्षार्थी को अस्थायी रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दे देंगे, परन्तु परीक्षार्थी से इस बात का अनुबन्ध ले लेंगे कि सचिव के निर्णय के अधीन ही वह परीक्षा में स्थायी रूप से सम्मिलित होने का पात्र माना जायेगा।

(ग) मुख्य शिक्षा अधिकारी इस बात की पुष्टि कर लें कि जो श्रुत–लेखक परीक्षार्थी को प्रदान किया जा रहा है, वह परीक्षार्थी से एक कक्षा नीचे का हो तथा उसके प्राप्तांक पिछली परीक्षा में 45 प्रतिशत से अधिक किसी भी दशा में न हों।

(घ) आकस्मिक दुर्घटना के अतिरिक्त अन्य सभी अक्षम परीक्षार्थी आवेदन–पत्र भरते समय ही केन्द्र–व्यवस्थापक के माध्यम से श्रुत–लेखक को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल से पूर्व अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ ले सकते हैं कि वह वास्तव में परीक्षा–समय तक स्वस्थ नहीं हो पायेगा। इस बात की पुष्टि सम्बन्धित जिले के Chief Medical Officer द्वारा की जानी चाहिये।

(ङ) जिन परीक्षार्थियों के अंक–पत्र उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें ऐसे श्रुत–लेखक दिये जायं, जिनके गृह परीक्षा के प्राप्तांक का योग 45 प्रतिशत से किसी भी दशा में अधिक न हों और जिन विषयों में श्रुत–लेखक का कार्य करना है, उनके भी प्राप्तांक 45 प्रतिशत से अधिक न हों।

3–उपरोक्त प्रतिबन्धों की पूर्ति होने पर ही परिषद् की ओर से सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल श्रुत–लेखक की आज्ञा प्रदान करेंगे।

4–श्रुत–लेखक सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र, केन्द्र–व्यवस्थापक के माध्यम से सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करके परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व उनकी आज्ञा प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

5–परीक्षार्थी को स्वयं श्रुत–लेखक की नियुक्ति सम्बन्धी सभी नियमों की जानकारी होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में वह स्वयं केन्द्र–व्यवस्थापक, मुख्य शिक्षा अधिकारी को संतुष्ट करेगा, यदि वह निर्धारित प्रार्थना–पत्र में गलत वक्तव्य देगा या किसी तथ्य को छिपाकर परीक्षा देगा, तो उसे परिषद् के निर्णयानुसार दण्डित किया जायेगा। नियमानुसार मान्य श्रुत–लेखक को जुटाने का दायित्व स्वयं परीक्षार्थी का है। केन्द्र–व्यवस्थापक/मुख्य शिक्षा अधिकारी का दायित्व केवल उसकी जाँच करके उचित संस्तुति देना है।

6–केन्द्र–व्यवस्थापक/मुख्य शिक्षा अधिकारी, विशेष परिस्थिति में जिस परीक्षार्थी को श्रुत–लेखक प्रदान करें। उसकी सूचना तार द्वारा परीक्षार्थी का नाम, परीक्षा का नाम और अनुक्रमांक के साथ उसी दिन सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल को दे दें।

7–मुख्य शिक्षा अधिकारी से अनुरोध है कि नेत्रहीन परीक्षार्थियों के श्रुत–लेखक प्रदान करने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र पर विचार वरीयता के आधार पर करने का कष्ट करें।

8–केन्द्र–व्यवस्थापक/मुख्य शिक्षा अधिकारी को स्वयं अपने हस्ताक्षर से परीक्षार्थी के उत्तर–पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर निम्नलिखित उल्लेख करना चाहिये :–

"श्रुत–लेखक दिया गया"।

9–श्रुत–लेखक की नियुक्ति सम्बन्धी किसी भी नियम का उल्लंघन करके श्रुत–लेखक की नियुक्ति कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व परीक्षार्थी एवं केन्द्र–व्यवस्थापकों एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी पर होगा।

नोट :–परीक्षा समिति के प्रस्ताव संख्या 11, दिनाँक 7 अक्टूबर, 1976 द्वारा स्वीकृत।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 69 उ0शि0प0/446–29–10–2013–4000 प्रपत्र (कम्प्यूटर/रीजियो)।